SDP 50000 - 05/17

प्रपत्र सं० **5196** (संशोधित)

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

दिल्ली मण्डल-I

1-6-69 के पूर्व जारी की गई पालिसियों पर प्रथम ऋण हेतु आवेदन पत्र

वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक,
भारतीय जीवन बीमा निगम,
शाखा कार्यालय सं०.....
नई दिल्ली/ दिल्ली
प्रिय महोदय,

दिनांक .....

विषय : पालिसी सं०

मुझे/हमको उपरोक्त पालिसी सं० ..... के अन्तर्गत रु०..... या अधिकतम (जितना मिल सके उतना) रूपया ऋण के रूप में प्रदान करने की कृपया करें। मैं/हम ऋण राशि पर $10^{1}/_{2}$% प्रतिवर्ष छमाही की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देना स्वीकार करती हूँ/करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम पालिसी पर निम्नलिखित पृष्ठांकन किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करती हूँ/करता हूं/करते हैं।

स्वीकृत ऋणराशि का भुगतान निगम द्वारा पालिसी की प्रतिभूति पर निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर किया जायेगा:

1. ऋण, उसका ब्याज तथा तत्सम्बन्धी व्यय राशि की अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में पालिसी का पूर्ण अभ्यर्पण निगम, उसके उत्तराधिकारियों एवं अभ्यर्पियों के पक्ष में कर दिया जायेगा और अदायगी उन्हीं के पास रहेगी।

2. ऋण की अदायगी संबन्धित ऋण प्रदान करने की तिथि से 6 मास के अन्दर बिना छमाही ब्याज के स्वीकार न की जायेगी।

3. ऋण/ऋणों पर ब्याज निगम द्वारा प्रत्येक ऋण प्रदान करते समय निर्वाचित की गई छमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निगम, उसके उत्तराधिकारियों एवं अभ्यर्पियों को अदा किया ज़ायेगा। ब्याज का प्रथम भुगतान ऋण प्रदान करने की तिथि के उपरान्त पड़ने वाली पालिसी की वर्गगांठ की तिथि पर या अगली पालिसी वर्गगांठ से 6 माह से पूर्व की तिथि पर, दोनों में जो भी पहले पड़े, किया जायेगा। उसके बाद हर छमाही ब्याज अदा करना होगा।

4. मांग किए जाने पर, जिसके लिए तीन मास की पूर्व सूचना दी जाएगी, ऋण की राशि की ब्याज सहित अदायगी करनी होगी।

5. किसी भी ऋण की अदायगी स्वीकार करने के लिए निगम उसके उत्तराधिकारी एवं अभ्यर्पी बाध्य नहीं होंगे जब तक की अदायगी सम्पूर्ण राशि की न हो।

6. मांग किए जाने पर ऋण/ऋणों की राशि अदा करने में असमर्थ होने पर अथवा पूर्वोक्त देय तिथियों के एक कलैण्डर मास के भीतर ब्याज का भुगतान न करने पर निगम, उसके उत्तराधिकारियों एवं अभ्यर्पियों को यह अधिकार होगा कि बिना कोई सूचना दिए पालिसी को जब्त करे लें और पालिसी समर्पण मूल्य की राशि में से ऋण प्रदान करने के नियम एव शर्तों के अनुसार ब्याज सहित ऋण तथा तत्सम्बन्धी व्यय की राशि वसूल कर लें और यदि कोई राशि शेष बचे तो उसका भुगतान अधिकारी व्यक्ति को कर दें।

7. यदि पालिसी पूर्णाविधि प्राप्त कर लेने या मृत्यु होने के कारण दावा बन जाये और उसका कोई अंश बकाया हो तो ऐसी दशा में बकाया ऋण राशि तथा उस पर पूर्णाविधि तिथि अथवा मृत्यु तिथि का जो भी ब्याज होगा, उसको पालिसी की रकम से काट लेने का अधिकार निगम को होगा और दावेदार की पालिसी के अन्तर्गत केवल शेष धन ही देय होगा।

आपके पक्ष में पूर्णरूपेण अभ्यर्पित पालिसी ऋण की पावती (रसीद) तथा अभ्यर्पण सम्बन्धी घोषणा नियमानुकुल पूरी करके साथ में भेजी जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार

भवदीय संलग्न :

(1).....

(2).....

प्रपत्र सं० **5205**

ऋण के लिए प्रार्थना पत्र जहां पालिसी के ऊपर ऋण की शर्तों का पृष्ठांकन हुआ हो अथवा जहां पालिसी **1-6-69** को या उसके बाद जारी की गई हो।

1. नया ऋण जहां पहले कोई ऋण नहीं।

2. आगे का ऋण जहां पहला ऋण 6% ब्याज पर चल रहा है।

वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक,

भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय सं०.....

नई दिल्ली।

महोदय,

विषय पालिसी सं०.....

कृपया मुझे / हमे.....रु० या अधिक से अधिक पालिसी के ऊपर ऋण के रूप में उधार प्रदान करें। मैं उसके ऊपर $10^{1}/_{2}$% वार्षिक दर से ब्याज देना स्वीकार करता हूं जो हर छः महीने बाद देय होगा।

2. मैं/हम उन शर्तो से अवगत हूं /हैं जिन पर ऋण दिया जायेगा।

मैं / हम उन शर्तो से अवगत हूं / हैं जो पालिसी पर पृष्ठांकन कर दी गई है।

** अथवा पालिसी पर छपी शर्तो में ऋण के अन्तर्गत छपी धाराओं के अन्तर्गत है।

ऋण के रूपये की रसीद तथा समनुदेशन की घोषणा पूरी भरकर वापिस भेजी जा रही है।

*** पालिसी आपके पक्ष में समनुदेशन करके साथ भेजी जा रही है ।

भवदीय

* जो पालिसियां 1-6-69 को या उसके बाद जारी की गई है काट दें।

** जो पालिसियां 1-6-69 से पहले जारी की गई हैं उनमें काट दें।

*** जहां पहले ऋण चल रहा है वहां काट दें।

बीमाधारी के हस्ताक्षर

ऋण राशि प्राप्ति की रसीद का प्रपत्र

प्रपत्र सं० 5200

रुपये ..... स्थान..... दिनांक.....

मैं/हम (1)..... (2).....

....

एतद् द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी सं०.....के अन्तर्गत मुझे/हमें ऋण रूप में प्रदत्त

रूपये (शब्दों में)..... की धनराशि की प्राप्ति स्वीकार करता हूं/करते हैं।

नाम (बड़े अक्षरों में).....

पता (जहां पर चैक.....

भेजना) है .....

.....

1 रु. का रसीदी टिकट

अधिकार पत्र

यदि रसीद, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर की गई हो और यह अपेक्षा की जाये कि भुगतान हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी एक को अथवा उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाए तो निम्नलिखित अधिकार पत्र पूरा करना चाहिए।

स्थान ..... दिनांक.....

मैं/हम एतद् द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकार प्रदान करता / करती हूं / करते हैं कि उपरोक्त ऋण की धनराशि उपरोक्त ऋण की
धनराशि में से रूपये .....श्री.....को भुगतान कर दिया जाये।

.....हस्ताक्षर

.....हस्ताक्षर

(यदि अधिकार पत्र पूर्ण करने वाला कोई हिन्दी न जानता हो तो निम्नलिखित घोषणा पत्र हिन्दी जानने वाले को पूरा करना चाहिए)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि इस अधिकार पत्र का विवरण श्री

(1).....

(2)..... को भली भांति समझा दिया है और वह / वे इस बात से सहमत है/है कि उपरोक्त धनराशि का भुगतान अधिकार-प्रदत्त व्यक्ति श्री .....को कर दिया जाये।

घोषणकर्त्ता के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र (जब ऋण लेने वाला हिन्दी न जानता हो उस समय भरने के लिए)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने (1) श्री.....(2) श्री.....
को उपरोक्त विवरण उनके द्वारा समझी जाने वाली ( ) भाषा में ठीक-ठीक समझाा दिया है और मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उन्होनें उसे भली भांति समझ लिया है।

.....

घोषणा करने वाले के हस्ताक्षर

यदि ऋण लेने वाला हिन्दी न जानता हो अथवा निरक्षर हो तो उपरोक्त प्रपत्र की पूर्ति किसी हिन्दी जानने वाले व्यक्ति से करानी चाहिए और हस्ताक्षर का हिन्दी रूपान्तर अवश्य लिखवा देना चाहिए । कदाचित एक या दोनो ऋण प्राप्तकर्ता निरक्षर हों तो घोषणाकर्ता को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि लगाया गया निशानी अंगूठा अपरोक्त वर्णित व्यक्तियों का/के/है/हैं और यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि निशानी अंगूठा निशानी उपस्थिति में लगाया गया/लगाए गए है/हैं।

यदि उपरोक्त अधिकार-पत्र भरने वाले एक या दो व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते हैं तो अधिकार-पत्र के नीचे लिखी घोषणा किसी हिन्दी जानने वाले व्यक्ति द्वारा भरी जानी और उसे हस्ताक्षरों का हिन्दी रूपान्तर अवश्य लिखना चाहिए । यदि एक अथवा दोनों हस्ताक्षर कर्ता निरक्षर हैं तो घोषणाकर्ता को यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि निशानी अंगूठा उपरोक्त व्यक्ति/यों का ही है/हैं और यह भी कि निशानी अंगूठा उसके सामने लगाए गए है।

यदि ऋण की राशि 500) रू० से अधिक है, तो घोषणाकर्ता निम्न में से कोई एक होना चाहिए : मजिस्ट्रेट, जस्टिस आंफ पीस, खण्ड विकास अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, सरकार द्वारा संचालित किसी उच्च माध्यमिक स्कूल अथवा हाई स्कूल का प्रधानाचार्य अथवा प्रधान अध्यापक, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का एजेन्ट, जीवन बीमा निगम का प्रथम श्रेणी का अधिकारी अथवा जीवन बीमा निगम का वह विकास अधिकारी जिसकी नौकरी कम से कम 5 वर्ष की हो और जो अधिकारी पत्र के हस्ताक्षरकर्त्ताओं को भली भांति पहचानता हो। यदि ऋण की राशि पांच सौ रूपये अथवा उससे कम है तो घोषणाकर्ता तलाती, राजस्व अधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष अथवा ग्राम पंचायत का प्रधान भी हो सकता है ।

प्रपत्र सं० 3599

प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा योजना पालिसी के सम्बन्ध में

पालिसी सं०.....

लाभ सहित प्रत्याशित बन्दोबस्ती बीमा योजना के अन्तगर्त जारी की गई उपर्युक्त पालिसी पर ऋण लेने के लिए अपने दिनांक ....के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में मैं एतद् द्वारा इस बात के लिए सहमत हूँ कि :

1. पलिसी प्रारम्भ होने की तिथि से.....तक मेरे जीवत रहने की दशा में तथा

2. पालिसी प्रारम्भ होने की तिथि से .....वर्षो तक मेरे जीवित रहने की दशा में निगम बीमा धन की उस समय देय किस्तों की पालिसी के अंतर्गत बकाया ऋण की अदायगी की मद में जमा खर्च कर सकता है। बशर्ते ऐसे जमा खर्च द्वारा समस्त बकाया ऋण की अदायगी के बाद यदि पूर्वोक्त बीमा धन की कोई रकम शेष रह जाती है तो उेसी शेष रकम मुझे देय होनी चाहिए।

भवदीय,

प्रपत्र सं० 5198

मैं निम्न हस्ताक्षरकार्ता .....(पूरा नाम) बीमा पालिसी संख्या .....के अन्तर्गत बीमादार एतद्द्वारा उपरोक्त बीमा पालिसी के अन्तर्गत प्राप्त अपने सारे अधिकार स्वामित्व तथा हित एवम् उसके द्वारा प्राप्त धन एवं लाभों को भारतीय जीवन बीमा निगम, उनके उत्तराधिकारियों एवं अभ्यर्पकों के पक्ष में उनसे प्राप्त मूल्य या बाद में प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु पूर्ण रूपेण अभ्यर्पित एवं हस्तान्तरित करता हूँ।

स्थान.....दिनांक.....माह.....200 .....

साक्षी :

.....

बीमेदार के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त समनदुंशन के समस्त विवरण समनदेशिप को मेरे द्वारा ..... भाषा में समझा दिये गए हैं और उसने उपरोक्त विवरणों को भली-भांति समझकर मेरी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए हैं/ अंगूठा लगाया है।

साक्षी के हस्ताक्षर

प्रपत्र सं० 3516

बहुउद्देशीय पालिसी के सम्बन्ध में

पालिसी संख्या :.....

.....प्रीमियम चुकाने एवं निजी प्रयोजनों के लिए नियम की बहु प्रयोजन योजना के अधीन जारी की गई उपर्युक्त पालिसी के अन्तर्गत ऋण लेने के आवेदन पत्र के सन्दर्भ में, मैं एतद्द्वारा सहमति देता हूं कि पालिसी में निर्धारित अवधि के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में क्लेमेंट / क्लेमेंटों से ब्याज सहित बकाया कर्ज प्रथमतः बीमा धन के 10% के एक मुश्त भुगतान में से या किस्तों में से अदा करने और यदि ये दोनों वापसी भुगतान को पूरा करने के लिए यथेष्ट न हो तो शेष रकम की बची हुई पालिसी रकम में से अर्थात् बीमाधन 90% में से जब वह देय हो अदा कर देने अथवा एक अवान्तर विकल्प के रूप में पालिसी के हित लाभों को इस हद तक जितनी कि कर्ज को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो कम कराने का विकल्प देकर निगम मेरी मृत्यु होने के तत्काल ही कर्ज और उस पर ब्याज के वापसी भुगतान की मांग कर सकता है।

भवदीय

.....

बीमेदार

प्रपत्र सं० 3518

शिक्षा बन्दोबस्ती पालिसी में भरने हेतु

पालिसी सं.....स्वजीवन

पालिसी की पूर्णविधि तिथि पर मेरे जीवित रहने की दशा में तथा उस समय पूरे बीमा धन के लिए स्थित होने पर पालिसी धनराशि का भुगतान किस्तों में कुछ वर्षो में करने के विकल्प वाली उपयुर्क्त पालिसी के अन्तर्गत.....रु. का कर्ज लेने के लिए अपने आवेदन पत्र के संदर्भ में मैं एतद्द्वारा सहमति देता हूं कि पालिसी का क्लेम पूर्णावधि पर होने की दशा में पालिसी धनराशि प्राप्त करने के अधिकार व्यक्ति की ब्याज सहित बकाया कर्ज नकद वापिस कर देने या हित के लाभों को उस हद तक जहां तक की कर्ज को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो, कम कराने का विकल्प देकर निगम तत्काल ही कर्ज और उस पर ब्याज के वापसी भुगतान की मांग कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि यदि घटाई हुई वृत्ति की देय किस्त 20 रु० से कम हो तो क्लेम की शेष रकम मुश्त देय हो जायेगी और आगे शर्त यह है कि पूर्वोक्त पालिसी के अन्तर्गत इस प्रकार से वापस भुगतान की जाने वाली कुल रकम 25 रु० से कम न हो।

भवदीय

.....

बीमेदार

निर्देशः 1. अभ्यर्पण प्रपत्र को विभाजन रेखा से अलग करके पालिसी के पीछे रिक्त स्थान पर चिपका कर पूरा किया जाना चाहिए। इस स्थिति में कोई भी स्टैम्प शुल्क देय नहीं होगा। यदि अभ्यर्पण अलग कागज पर किया जाता है तो अभ्यर्पण का आलेख उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर (स्पैशल एड्हेसिव या सामान्य) पर नकल कर देना चाहिए ऐसे अभ्यर्पण प्रलेख (दस्तावेज) भेजने के पहले अभ्यर्पक को आश्वस्त हो लेना चाहिए कि उस पर समुचित स्टम्प शुल्क अदा कर दिया है।

2. अभ्यर्पक को अभ्यर्पक हेतु अपने हस्ताक्षर, साक्षी की उपस्थिति में करना चाहिए। यदि अभ्यर्पक को हिन्दी का ज्ञान नहीं है या यदि वह निरक्षर है तो उसे अपने हस्ताक्षर/या अपना अंगूठा निशान हिन्दी जानने वाले व्यक्ति की उपस्थिति मे लगाने चाहिये। ऐसी परिस्थितियों में साक्षी को अभ्यर्पण आलेख के नीचे मुद्रित प्रमाण पत्र पर भी अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।

3. यदि हस्ताक्षर या अन्य कोई आलेख हिन्दी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में किया गया है तो उसके नीचे उसका हिन्दी अनुवाद अवश्य होना चाहिए।

.....

..... अभ्यर्पी

.....